Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 81/2014

Bhola Thakur & Ors ..... Appellants.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Respondents

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	20.07.2023	**आदेश** प्रस्तुत अपील न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पूर्णिया सदर द्वारा BLDR वाद सं0–394/2011–12 में दिनांक–13.03.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदक दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादी सं0–02 चंदन कुमार महतो द्वारा मौजा–बैसा, थाना सं0–188, खाता सं0–631, खेसरा सं0–2512, रकवा–08 एकड़ 69 डी0 भूमि जो गैर मजरूआ बिहार सरकार एवं किस्म जमीन पुरानी परती से संबंधित एक आवेदन दिनांक–19.01.2012 को समाहर्त्ता, पूर्णिया के जनता दरबार में समर्पित किया गया। अंचलाधिकारी, कसबा द्वारा उक्त 08 एकड़ 69 डी0 भूमि वर्ष 1970 में भूमिहीन गरीब हरिजनों के बीच बंदोबस्त की गई। जिसमें से 71 डी0 भूमि लेखा महतो के पक्ष में बंदोबस्त की गई। जिसपर ये दखलकार रहकर एवं नामांतरण कराकर भू–लगान भुगतान कर रहे थे। लेखा महतो अपने पीछे एक मात्र संतान काशी महतो को छोड़कर गुजर गये। काशी महतो अपने पीछे तीन पुत्री तरिया देवी, रघिया देवी एवं मघिया देवी को छोड़कर गुजर गये। स्थानीय प्रथा अनुसार काशी महतो द्वारा उक्त भूमि रामदेव एवं श्यामदेव को बिक्री कर दी गई एवं रामदेव तथा श्यामदेव द्वारा उक्त भूमि राजेन्द्र ठाकुर के पास बिक्री की गई। राजेन्द्र ठाकुर द्वारा टाईटल सूट सं0–280/1999 दायर किया गया जिसमें दिनांक–06.08.1999 को समझौता के आधार पर इनके पक्ष में डिक्री पारित की गई। तत्पश्चात् वे अपने नाम नामांतरण कराकर भू–लगान भुगतान कर रहे हैं। उक्त भूमि पर इनके द्वारा इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान एवं शौचालय निर्मित कर सपरिवार निवास किया जा रहा है। उक्त भूमि पर इनका शाँतिपूर्ण दखल है और अन्य सैकड़ों बंदोबस्तधारियों का बंदोबस्त भूमि पर मकान झोपड़ी निर्मित है। विपक्षी चंदन कुमार प्रश्नगत भूमि से 06 किलोमीटर दूर डोकरैल में निवास करते हैं और उन्हें प्रश्नगत भूमि से कोई वास्ता नहीं है। उनके द्वारा शत्रुतावश निम्न न्यायालय में वाद दायर किया गया था। निम्न न्यायालय द्वारा तथ्यों पर बिना विचार किये ही इनके विरूद्ध आदेश	

Web Copy Not Official.

		पारित किया गया है, जो न्यायोचित नहीं है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। उत्तरवादी चंदन कुमार की माँ राधिका देवी के जीवित रहने के आधार क्रमशः	
	लगातार 20.07.2023	पर इनके द्वारा वाद दायर किया जाना वैध नहीं है। अपीलार्थी हजाम जाति के अनुसूचि–1 की श्रेणी में आनेवाले समाज के कमजोर वर्ग के व्यक्ति हैं। स्थानीय प्रचलन के अनुसार प्रश्नगत भूमि 35 वर्षों बाद इनके पक्ष में हस्तांतरित किया गया है जिसके आधार पर ये वैध रूप से दखलकार हैं। निम्न न्यायालय द्वारा तथ्यों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त होने योग्य है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई। दूसरी तरफ उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत अपील तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। प्रश्नगत खाता, खेसरा की उक्त भूमि लेखा महतो के नाम बंदोबस्त हुई थी। लेखा महतो अपने पीछे पुत्र काशी महतो को छोड़कर गुजर गये। काशी महतो अपने पीछे तीन पुत्री छोड़कर गुजर गये। उत्तरवादी काशी महतो के नाती है। अपीलार्थी द्वारा दायर T.S.N.-280/1999 में ना तो बिहार सरकार और न ही बंदोबस्तधारियों को पक्षकार बनाया गया है। अपीलार्थी द्वारा उक्त टाईटिल सूट में पारित आदेश के आलोक में दावा किया जा रहा है, जो विधिसम्मत् नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत विवाद बंदोबस्त भूमि से संबंधित है। विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि ऐसे मामलों में अधिनियमानुसार राज्य सरकार एक आवश्यक पक्षकार है। जिनके पक्षों की सुनवाई किया जाना अनिवार्य है। निम्न न्यायालय द्वारा इस तथ्य की अनदेखी किया जाना विधिसम्मत् नहीं है। अपीलार्थी का दावा T.S.No.-280/1999 में पारित निर्णय/डिक्री के आधार पर है जिसमें राज्य सरकार को पक्षकार नहीं बनाया गया था। निम्न न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के पक्षों की सुनवाई किया जाना आवश्यक है। अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को विधिसम्मत् एवं न्यायोचित नहीं पाते हुए निरस्त किया जाता है। साथ ही प्रस्तुत मामले को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, पूर्णिया के समक्ष प्रतिप्रेषित (Remand) करते हुए निदेश दिया जाता है कि :– (i) संबंधित सभी पक्षकारों सहित राज्य सरकार के पक्षों की भी सुनवाई करते हुए निर्धारित समय सीमान्तर्गत विधिसम्मत् मुखर आदेश पारित करेंगे। (ii) सब जज, पूर्णिया द्वारा T.S.No.-280/1999 में पारित आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील दायर करना सुनिश्चित करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की	

Web copy, Not Official.

		प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.